न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/71/2020

अपींलाट श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहबतराम
निवासी निवासी ए.ए. 21, महावीर नगर, बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 30.12.2020

अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मोहबतराम निवासी निवासी ए.ए. 21, महावीर नगर, बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 29.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 338684 दिनांक 11.08.2020 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को जवाब में प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना न्यायालय की पत्रावली से संबधित है जिसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने अथवा उसका निरीक्षण करने हेतु विधिक प्रावधान विद्यमान है। प्रार्थी को उक्त आशय की सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रथम अपील दाखिल दफतर की जावें।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना न्यायालय प्रकरण से संबधित थी। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने से डिस्टिक्ट मेनुअल/रेवन्यु कोर्ट मेनुअल के तहत पर पक्षकार होने से उक्त सूचना इस अधिनियम के तहत चाही गई है। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र गलत तरीके से निस्तारित किया है, अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश फरमावे। अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब/टिप्पणी के विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र नियमों की गलत व्याख्या कर निस्तारित किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर